

प्रकरण हाजा में मौजा दोतीणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 620/208 की भूमि का माफिक सहमति राजीनामा अनुसार वादीगण के मध्य बंट चाहा है, उक्त खसरे के विभाजन नजरीनकशा वाद पत्र में सलंग्न है तथा शेष मुतदाकिया खेताय खसरा नंबर 619/57 व 65 की खातेदारी यथावत प्रतिवादी संख्या 1 देबुराम के इस्तदुआ अनुसार रखी गई है। अतः मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 620/208, 619/57 व 65 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 देबुराम के साथ सहखातेदार घोषित कर पक्षकारान के द्वारा खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— :: आदेश :: —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 620/208, 619/57 व 65 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 देबुराम के साथ सहखातेदार घोषित कर पक्षकारान के द्वारा खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय में नजरीनकशा वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जायेगा

1. वादी संख्या 1 श्यामलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतीणा का खेत खसरा नंबर 620/208 रकबा 4.8805 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दोतीणा का खेत खसरा नंबर 620/208 रकबा 4.8805 हैक्टेयर में से 2.4362 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
3. मौजा दोतीणा के खेत खसरा नंबर 620/208 रकबा 4.8805 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर रकबा 0.05 बीघा 12 फुट चोड़ा रास्ता खेतों में आने जाने के लिये रखा है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 देबुराम के हक बंट में मौजा दोतीणा का खेत खसरा नंबर 619/57 व खसरा नंबर 65 यथावत रखे गये हैं।

नोट— बैंक के रहन खसरान के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



[Signature]
18.11.2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल